

5- सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु:-

कार्यालय सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति पत्रांक बे०शि०प०/15876/2017-18 दिनांक 28.10.2017 के अनुसार :-

परीक्षा का समय: 3.00 घंटे पूर्णांक : 150
प्रश्न का प्रकार: अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या: 150

विषयवस्तु का स्तर:

- (1) भाषा: हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन (कक्षा 12 स्तर तक)।
- (2) शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति -(डी०एल०एड० पाठ्यक्रम स्तर तक)।

विषय	पाठ्यक्रम	अंक
भाषा हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी	व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश, Grammar, Comprehension	40
विज्ञान	दैनिक जीवन में विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ	10
गणित	अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीयमान, भिन्न, ब्याज, लाभ-हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखण्ड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल औसत आयतन, अनुपात, सर्वसमिकाये, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी।	20
पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन	पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक सम्पदा, अक्षांश और देशान्तर, सौरमण्डल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी	10
	शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन।	
शिक्षण कौशल	शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धान्त, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारम्भिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरम्भिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन	10
बाल मनोविज्ञान	वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना सीखने के सिद्धान्त तथा कक्षा-शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था।	10
सामान्य ज्ञान/समसामयिक घटनाएँ	समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएँ-अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाएँ स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएँ, अन्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार/खेल-कूद, भारतीय, संस्कृति एवं कला आदि।	30
तार्किक ज्ञान	Analogies, assertion and reason, binary logic, classification, clocks and calendars, coded inequalities coding-decoding, critical reasoning, cubes number series, puzzles, symbols and notations, venn diagrams and dice, data interpretation, direction sense test, grouping and selections, inferences, letter series	5
सूचना तकनीकी	शिक्षण कौशल विकास, कक्षा-शिक्षण तथा विद्यालय प्रबन्धन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी कम्प्यूटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन, ओ०ई०आर० (ओपन एजुकेशनल रिसोर्स), शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल, शिक्षण-सामग्री के उपयोग की जानकारी	5
जीवन कौशल/प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति	व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका (सुविधा-प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता), सवैधानिक और मानवीय मूल, दण्ड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग।	10

6- प्रश्न पत्र की भाषा – प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषा में होगा परन्तु अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषय के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा में देने होंगे।

7- अर्हक अंक –

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 67 अंक अर्थात् 45 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 60 अंक होगा।

(3) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना किसी व्यक्ति को भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

(4) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण (टेस्ट बुकलेट नं०, टेस्ट बुकलेट सीरीज, रोल नं०, रजिस्ट्रेशन नं०, अभ्यर्थी का नाम इत्यादि अन्य विवरण) गलत व अस्पष्ट भरे जाने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत विवरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे।